राजस्थान सरकार
शिक्षा—विभाग
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 8 (पुस्तकालय)अकाद/निकाशि/ 98/136 दिनांकः 25, जुलाई, 2013

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित नवीन पुस्तकों का अनिवार्य प्रदाय।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–3) के पत्रांक 95 पार्ट दिनांक 28.3.2033 के द्वारा समस्त प्राचार्यो को राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित नवीन पुस्तकों के अनिवार्य प्रदाय हेतु निर्देशित किया गया था (छाया प्रति संलग्न है)। गत कुछ वर्षो से उक्त आदेशों के प्रति महाविद्यालयों द्वारा उदासीनता बढ़ती जा रही है, जबकि अकादमी के प्रकाशन सस्ते एवं उच्च स्तर के हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 28.3.2003 के परिपत्र के अनुसार महाविद्यालय राजस्थान हिन्दी ग्रंथ प्रकाशन का अनिवार्य प्रदाय करने की कार्यवाही करें। अकादमी के द्वारा नवीनतम्/पुराने प्रकाशनों के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु एक विशेष पुस्तक प्रदर्शनी दिनांक 1 एवं 2 अगस्त 2013 को अकादमी परिसर जयपुर में आयोजित की जा रही है, जिसमें निम्नानुसार महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष/वरिष्ठ व्याख्याता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें–

दिनांक 1.8.2013	समस्त पी.जी. महाविद्यालय एवं विधि महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष/वरिष्ठ व्याख्याता।
दिनांक 2.8.2013	समस्त यू.जी. महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष/वरिष्ठ व्याख्याता।
स्थान	अकादमी भवन, प्लाट नं. 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
दूरभाष नम्बर	0141–2711129
समय	प्रातः 11.00 बजे से

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय,
(नवीन जैन)
निदेशक
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ 8 (पुस्तकालय)अकाद/निकाशि/ 98/137-138 दिनांकः 25, जुलाई, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निदेशक, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
2. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, प्रभारी वेबसाईट– कृपया इस पत्र को वेबसाईट पर अपलोड करें।

संयुक्त–निदेशक
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : एफ.5(1)(शिक्षा-3/95-पार्ट   जयपुर, दिनांक :- 28/3/03

आदेश

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,

विषय :- राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित नवीन पुस्तकों का अनिवार्य प्रदाय।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी गत 30 वर्षों से भी अधिक समय से माध्यम परिवर्तन योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रोपयोगी पुस्तकें हिन्दी में लिखवाने एवं उन्हें प्रकाशित कर "नलाभ न हानि" सिद्धांत पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है, चूंकि अकादमी के प्रकाशन शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुए हैं, अतः छात्रों एवं प्राध्यापकों के लिये उनकी उपयोगिता को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अकादमी की पुस्तकें आवश्यक रूप से महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में उपलब्ध हो। पूर्व में इस विभाग द्वारा निम्न आदेश प्रसारित किये जा चुके है :-

1. एफ.24(1)/शिक्षा/4/91 दिनांक 3.10.92
2. एफ.12(2)शिक्षा/3/94 दिनांक 1.03.94
3. एफ.5(1)(शिक्षा/3/95 दिनांक 14.03.95

इस हेतु अब पुनः उक्त आदेशों के क्रम में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है:-

1. महाविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों से सम्बन्धित प्रत्येक नवीन प्रकाशन की 5 प्रतियाँ का अकादमी महाविद्यालयों को अनिवार्य रूप से प्रदाय करेगी। इसके लिए महाविद्यालयों के क्रयादेश की आवश्यकता अकादमी को नहीं होगी।
2. अकादमी के पुराने प्रकाशन महाविद्यालय अपनी आवश्यकतानुसार क्रयादेश भेजकर प्राप्त कर सकेंगे।
3. महाविद्यालय राज्य सरकार से प्राप्त कुल पुस्तकालय अनुदान में से 15% राशि अकादमी के प्रकाशनों को क्रय करने में अनिवार्य रूप से व्यय करेंगे।

निरन्तर....2

4. महाविद्यालयों को पुस्तक खरीद हेतु प्राप्त होने वाली यू.जी.सी.ग्रांट में से 10% राशि का उपयोग अकादमी के प्रकाशनों पर अनिवार्यतः व्यय करेंगे ।

5. अकादमी द्वारा इन पुस्तकों पर अकादमी के नियमानुसार कमीशन दिया जायेगा । पुस्तकें प्राप्त होने पर भुगतान अकादमी को सीधे भिजवाया जावे ।

भवदीय,

शासन सचिव उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार को भेजकर लेख है कि वे आदेश की पालना हेतु समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों को पाबंद करें । निदेशालय द्वारा महाविद्यालयों के अंकेक्षण में इस अनुपालना की व्यवस्था भी सुनिश्चित करावें ।

2. विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ ।

3. निदेशक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, प्लाट नं0 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा